



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
पीठासीन अधिकारी :- हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या :- 17 / 2015

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. महेन्द्र पुत्र श्री सम्पतराम आयु 15 वर्ष, नाबालिग जरिये कुदरती वली माता पप्पुदेवी पत्नी सम्पतराम, जाति बावरी निवासी हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		1. सम्तपराम पुत्र श्री जोगाराम 2. श्यामलाल पुत्र श्री जोगाराम 3. शोभादेवी पुत्री श्री सम्पतराम जाति बावरी निवासी हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर
2. गीतादेवी पुत्री सम्पतराम		4. तिलोक पुत्र श्री रामसुख जाति सरगरा, निवासी खेजड़ला तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर हरियाढाणा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
3. मनीषादेवी पुत्री सम्पतराम जातियान बावरी निवासीगण हरियाढाणा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.		5. सीयाराम पुत्र श्री मंगाराम जाति मेघवाल निवासी सोवनिया तहसील पीपाड़शहर, जिला जोधपुर
		6. प्रहलादराम पुत्र श्रीराम जाति मेघवाल सोवनिया, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर
		7. राजेश पुत्र श्री बीजाराम जाति मेघवाल, निवासी हरियाढाणा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
		8. अशोक कुमार पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति जीनगर निवासी ग्राम रणसीगांव, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर
		9. प्रवीण ढोली पुत्र बुधाराम जाति ढोली निवासी ग्राम सोवनिया तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
		10. राधेश्याम पुत्र शेषाराम जाति बावरी निवासी ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर
		11. ग्राम पंचायत हरियाढाणा, पंचायत समिति बिलाड़ा
		12. तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 24.05.2017

पत्रावली आज बमुकाम हरियाढाणा राजस्व लोक अदालत शिविर में प्रस्तुत हुई। उपरोक्त राजस्व वाद में अधिवक्ता वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के नोटिस प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर दिये गये फिर भी अधिवक्ता वादी ने न्यायालय आदेश की पालना नहीं की है, अतः वादी का वाद अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के अन्तर्गत खारीज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसलसुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.05.2017 को मजमें आम सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा